> थाना बिसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फिरोजपुर में कथित लूट की फर्जी घटना का मात्र 05 घण्टे में अनावरण किया गया के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डा० बृजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक बिसौली के नेतृत्व में आज दिनॉक 05/10/2024 को थाना बिसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फिरोजपुर में वादी श्री रुपेश मिश्रा पुत्र रामनिवास मिश्रा के मकान में हुई लूट की घटना का मात्र 05 घण्टे में अनावरण किया गया। घटना के सम्बनध में थाना बिसौली पर मु0अ0सं0 478/2024 धारा 115(2)/309(6)/333/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 05/10/2024 को थाना बिसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फिरोजपुर में वादी श्री रुपेश मिश्रा पुत्र रामनिवास मिश्रा ने जिरए दूरभाष कन्ट्रोल रुम 112 पर सूचना दी कि कुछ व्यक्तियों ने आकर उसकी पुत्रवधू साधना उर्फ भावना पत्नी प्रदीप मिश्रा के साथ मारपीट कर उसके कमरे में रखे सोने चांदी के जेवर व ढाई लाख रुपये लूट लिये हैं और तमंचा दिखाते हुए मौके से फरार हो गये हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और पूछताछ करते हुए आवेदक श्री रुपेश मिश्रा उपरोक्त के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिसौली पर मु030सं0 478/2024 धारा 115(2)/309(6)/333/351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

घटना कारित करने वाले अपराधियों की तलाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कृष्ण कान्त सरोज के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री सुनिल कुमार के नेतृत्व में बिसौली पुलिस द्वारा पतारसी व सुरागसी करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गये व स्थानीय व्यक्तियों एँव परिजनों से पूछताछ की गयी तो पाया गया कि घर में रखे जेवर व रुपये की झूठी कहानी बनाकर मुकदमा लिखाया जाना पाया गया। वादी मुकदमा रुपेश मिश्रा एंव उसकी पुत्रवधू साधना उर्फ भावना से तथा अन्य परिजनों से अलग अलग

गहनता से पूछताछ करने पर सभी के कथनों में विरोधाभास पाये जाने पर घटना का होना नहीं पाया गया और वादी मुकदमा व उसकी पुत्रवधू एंव पत्नी की निशादेही पर लूट की घटना में दर्शाये गये सोने चांदी के जेवर व नकदी उनके स्वयं के घर से बरामद की गयी। बरामद सामान की सूची निम्नवत है।

बरामदगी का विवरण)-

- 1. 5330 रुपये नकद
- 2. चार चूड़ियां पीली धातू
- 3. एक अंगूठी जेन्टस पीली धातु
- 4. तीन अंगूठी लेडीज पीली धातु
- 5. दो पेण्डल पीली धातु
- 6. एक चैन मय लाकेट पीली धातु
- 7. एक मंगल सूत्र मय पेण्डल काले मोती का
- 8. एक मंगल सूत्र मय पेण्डल लाल सफेद मोतियों का
- 9. एक मांग टीका पीली धातु
- 10. एक नथ पीली धातु
- 11. एक सीढ़ी पीली धातु की
- 12. एक अंगूठी पीली धातु
- 13. दो झाले पीली धातु
- 14. एक घड़ी सोनाटा कम्पनी पीले रंग की
- 15. एक जोड़ी पाजेव सफेद धातु
- 16. एक कमरबंध सफेद धातु
- 17. पांच जोड़ी पायल सफेद धातु
- 18. एक पायल सफेद धातु
- 19. एक जोड़ी बिछुआ सफेद धातु
- 20. एक अंगूठी नगवाली सफेद धातु
- 21. तीन चांदी के सिक्के सफेद धातु

बरामदगी व घटना का अनावरण करने वाली टीम का विवरण-1.प्र0नि0 श्री बृजेश कुमार सिंह थाना बिसौली जनपद बदायूँ

- 2.निरीक्षक श्री नीरज मलिक एसओजी/ सर्विलांस प्रभारी मय टीम
- 3.वरि0उ0नि0 श्री शिवेन्द्र सिंह थाना बिसौली जनपद बदायूँ
- 4.उ0नि0 श्री मौ0 अरशद थाना बिसौली जनपद बदायूँ
- 4.हे0का0 मनोज कुमार थाना बिसौली जनपद बदायूँ
- 5.हे0का0 दंगल सिंह थाना बिसौली जनपद बदायूँ
- 6.हे0का0 ओनकार सिंह त्यागी थाना बिसौली जनपद बदायूँ
- 7.म0का0671 राखी राघव थाना बिसौली जनपद बदायूँ
- 8.म0का01504 प्रिया थाना बिसौली जनपद बदायूँ

मीडिया सैल बदायूँ